

18.04.23 पत्रावली पेश हुई। वारी आधिवक्ता
अनुपस्थित। वारी आधिवक्ता लंबे
समय से अनुपस्थित। वारी आधिवक्ता
वाद से लेकर गंभीर नहीं, अतः पत्रावली
अपन पेशी अपन हाजरी में खारीज करी
जाती है।

पत्रावली केवल सुमार होकर 47
वक्ता से कम की जाकर वाधिव
दफ्तर है।

सहायकी कलेक्टर
(S. D. O.) रेंदा